<u>न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।</u>

मूलवाद संख्या-41/2011

CNR No. UPBB180000682011

रामचन्दर (मृतक) आदि बनाम शिव बहादुर

<u>11.09.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादीजन जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र क-148 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद मूल वादीजन रामचन्दर मृतक दौरान मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा वाद प्रतिवादी के विरूद्ध अपने मकान के पूरब स्थित 8 फिट चौड़ी कोलिया की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा जबरन सेप्टिक टैंक व नाली बनाये से रोके जाने के सम्बंध में दायर किया था। उक्त मुकदमें की पैरवी मूल वादी रामचन्दर करते थे, उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके कायम मुकाम वादीजन वाद में पक्षकार बने। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा मौके पर विवादित भूमि के सम्बंध में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है, परन्तु दौरान मुकदमा प्रतिवादी ने जबरदस्ती विवादित भूमि में पक्का सेप्टिक टैंक बना दिया और उसका गन्दा पानी वादी की तरफ निकालने के लिये पाइप लगा दिया और वादी की पूरब वाली दीवार के किनारे नाली खोदकर पानी निकालना शुरू कर दिया और एक उठौवा नांद रख दिया। जिसके सम्बंध में वादीजन ने प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय के यथास्थिति आदेश की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध आदेश अन्तर्गत धारा 39 नियम 2 ए जा०दी० की कार्यवाही कर दी है। उक्त कारण से वाद पत्र में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें।

प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती। प्रतिवादी को भी कोई तात्विक हानि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र क-148 स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र क-148 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अन्दर 15 दिन करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09.10.2024 को पेश हो।

(प्रीति भास्कर)

सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट

न्यायालय संख्या–14, बाराबंकी।